## कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2006

(2006 का अधिनियम संख्यांक 23)

[29 मई, 2006]

## कंपनी अधिनियम, 1956 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सतावनवें व-ी में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप्र में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2006 है।

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ |

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो, केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबन्धों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी ।

१६५६ का १

2. कंपनी अधिनियम, 1956 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) धारा 253 में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

धारा 253 का संशोधन ।

"परंतु कोई कंपनी किसी व्यिन्टि को कंपनी के निदेशक के रूप में तब तक नियुक्त या पुनःनियुक्त नहीं करेगी जब तक कि उसे धारा 266ख के अधीन निदेशक पहचान संख्या आबंटित न कर दी गई हो ।"।

3. मूल अधिनियम की धारा 266 के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

नई धारा 266क, धारा 266क, धारा 266क, धारा 266क, धारा 266क धारा 266क और धारा 266क का अंतःस्थापन ।

## "निदेशक पहचान संख्यांक

266क. ऐसा प्रत्येक—

(क) व्य-िट, जो किसी कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने का आशय रखता है; या निदेशक पहचान संख्यांक के आबंटन के लिए आवंदन ।

(ख) कंपनी निदेशक, जो कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2006 के प्रारंभ से पूर्व नियुक्त किया गया है,

केन्द्रीय सरकार को निदेशक पहचान संख्यांक के आबंटन के लिए आवेदन, ऐसे प्ररूप और रीति में (इलेक्ट्रानिक प्ररूप सिहत), ऐसी फीस के साथ जो विहित की जाए, करेगाः

परंतु कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2006 के प्रारंभ से पूर्व नियुक्त प्रत्येक निदेशक उक्त अधिनियम के प्रारंभ के साठ दिन के भीतर केन्द्रीय सरकार को ऐसा आवेदन करेगाः

परंतु यह और कि ऐसा प्रत्येक आवेदक, जिसने इस धारा के अधीन निदेशक पहचान संख्यांक के आबंटन के लिए आवेदन किया है, किसी कंपनी में निदेशक के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा या किसी कंपनी में उस समय तक निदेशक का पद धारण कर सकेगा जब तक कि ऐसे आवेदक को निदेशक पहचान संख्यांक आबंटित नहीं की गई है । निदेशक पहचान संख्यांक का आबंटन।

एक से अधिक निदेशक पहचान संख्यांक अभिप्राप्त करने का प्रतिषेध।

निदेशक की, संबद्ध कंपनी या कंपनियों को निदेशक पहचान संख्यांक सूचित करने की बाध्यता।

कंपनी की, निदेशक पहचान संख्यांक, रजिस्ट्रार को सूचित करने की बाध्यता ।

निदेशक पहचान संख्यांक उपदर्शित करने की बाध्यता।

धारा 266क या धारा 266ग या धारा 266घ या धारा 266ङ के उपबंधों के उल्लंघन के लिए शास्ति ।

नई धारा 610ख, धारा 610ग, धारा 610घ और धारा 610ङ का अंतःस्थापन।

इलेक्ट्रानिक रूप के माध्यम से आवेदनों के फाइल किए जाने, दस्तावेज निरीक्षण आदि से संबंधित उपबंध । 266ख. केन्द्रीय सरकार, धारा 266क के अधीन आवेदन प्राप्त होने के एक मास के भीतर किसी आवेदक को ऐसी रीति में जो विहित की जाए, निदेशक पहचान संख्यांक आबंटित करेगी ।

266ग. कोई व्यन्टि, जिसे धारा 266ख के अधीन पहले ही निदेशक पहचान संख्यांक आबंटित की गई है, किसी अन्य निदेशक पहचान संख्यांक के लिए न तो आवेदन करेगा, न अभिप्राप्त करेगा और न ही उसे कब्जे में रखेगा।

266घ. प्रत्येक विद्यमान निदेशक, केन्द्रीय सरकार से निदेशक पहचान संख्यांक प्राप्त होने के एक मास के भीतर अपनी निदेशक पहचान संख्यांक की सूचना, उस कंपनी या उन सभी कंपनियों को, जहां वह निदेशक है, देगा।

266 ड. (1) प्रत्येक कंपनी, धारा 266 घ के अधीन सूचना की प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर, अपने सभी निदेशकों की निदेशक पहचान संख्यांक रिजस्ट्रार या किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी को, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दि-ट किया जाए, देगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक सूचना ऐसे प्ररूप और रीति में दी जाएगी, जो विहित की जाए ।

266च. प्रत्येक व्यक्ति या कंपनी इस अधिनियम के अधीन दी जाने के लिए यथा अपेक्षित कोई विवरणी, जानकारी या विशि-िटयां देते समय, ऐसी विवरणी, जानकारी या विशि-िटयों में निदेशक पहचान संख्यांक उत्कथित करेगा, यदि ऐसी विवरणी, जानकारी या विशि-िटयां, निदेशक से संबंधित हैं, या उनमें किसी निदेशक के प्रतिनिर्देश हैं।

266 छ. यदि धारा 266 क या धारा 266 ग या धारा 266 घ में निर्दि-ट कोई व्यि-ट या निदेशक या धारा 266 इ में निर्दि-ट कोई कंपनी, उन धाराओं के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करती है तो, यथास्थिति, प्रत्येक ऐसा व्यिष्ट या निदेशक या कंपनी, जो व्यितक्रिमी है, वह ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा और जहां ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, वहां और जुर्माने से जो उस प्रथम अविध के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान उल्लंघन जारी रहता है, पांच सौ रुपए प्रतिदिन तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

स्प-टीकरण—धारा 266क, धारा 266ख, धारा 266ग, धारा 266घ, धारा 266ङ और धारा 266च के प्रयोजनों के लिए निदेशक पहचान संख्यांक से ऐसी पहचान संख्यांक अभिप्रेत है, जिसे केन्द्रीय सरकार, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए आशयित है या कंपनी के किसी विद्यमान निदेशक को उस रूप में उसकी पहचान के प्रयोजन के लिए आबंटित कर सकेगी।"।

4. मूल अधिनियम की धारा 610क के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थातः—

"610ख. (1) इस अधिनियम में अंतर्वि-ट किसी बात के होते हुए भी, और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 6 में अंतर्वि-ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी तारीख से, जो इन नियमों में विनिर्दि-ट की जाए, अपेक्षित नियम बना सकेगी,—

(क) ऐसे आवेदन, तुलनपत्र, प्रास्पेक्टस, विवरणी, घो-ाणा, संगम-ज्ञापन, संगम-अनुच्छेद, प्रभारों की विशि-टियां या कोई अन्य विशि-टियां या दस्तावेज, २००० का २१

जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन फाइल किए जाने या परिदत्त किए जाने के लिए अपेक्षित हों, इलेक्ट्रानिक रूप में फाइल किए जाएंगे और ऐसी रीति में अधिप्रमाणित किए जाएंगे, जो नियमों में विनिर्दि-ट की जाए;

- (ख) ऐसे दस्तावेज, सूचना, कोई संसूचना या प्रज्ञापन, जिसका इस अधिनियम के अधीन तामील या परिदान किया जाना, अपेक्षित है, इस अधिनियम के अधीन, इलेक्ट्रानिक रूप में तामील या परिदत्त की जाएगी और ऐसी रीति में अधिप्रमाणित की जाएगीए जो इन नियमों में विनिर्दि-ट की जाए:
- (ग) ऐसे आवेदन, तुलनपत्र, प्रास्पेक्टस, विवरणी, रजिस्टर, संगम-ज्ञापन, संगम-अनुच्छेद, प्रभारों की विशि-टियां या कोई अन्य दस्तावेज और विवरणी, जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन फाइल किए गए हैं, रजिस्ट्रार द्वारा इलेक्ट्रानिक रूप में रखे जाएंगे और, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकृत या ऐसी रीति में अधिप्रमाणित किए जाएंगे, जो नियमों द्वारा विनिर्दि-ट की जाए:
- (घ) इलेक्ट्रानिक रूप में रखे गए संगम—ज्ञापन, संगम-अनुच्छेद, रजिस्टर, अनुक्रमणिका, तुलनपत्र, विवरणी या किसी अन्य दस्तावेज का ऐसा निरीक्षण, जो अन्यथा इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं, किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे इलेक्ट्रानिक रूप में, जो नियमों में विनिर्दि-ट किया जाए, किया जा सकेगा;
- (ङ) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन सदेय ऐसी फीस, प्रभार या अन्य राशियां, इलेक्ट्रानिक रूप में और ऐसी रीति में, जो नियमों में विनिर्दि-ट की जाए, संदत्त की जाएगी;
- (च) रिजस्ट्रार, रिजस्ट्रीकृत कार्यालय में परिवर्तन, ऐसे संगम-ज्ञापन या संगम-अनुच्छेद, प्रास्पेक्टस में परिवर्तन को रिजस्टर करेगा, निगमन प्रमाणपत्र या कारबार के प्रारंभ का प्रमाणपत्र जारी करेगा, ऐसा दस्तावेज रिजस्टर करेगा, ऐसा प्रमाणपत्र जारी करेगा, सूचना अभिलिखित करेगा, ऐसी संसूचना प्राप्त करेगा जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन, यथास्थिति, रिजस्ट्रीकृत किए जाने या जारी किए जाने या अभिलिखित किए जाने या प्राप्त किए जाने के लिए अपेक्षित हो या इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन कर्तव्यों का पालन करेगा या कृत्यों का निर्वहन करेगा या शक्तियों का प्रयोग करेगा या ऐसा कोई कार्य करेगा जो इस अधिनियम द्वारा, रिजस्ट्रार द्वारा, इलेक्ट्रानिक रूप में ऐसी रीति में जो इन नियमों में विनिर्दि-ट की जाए, पालन किए जाने या निर्वहन किए जाने या प्रयोग किए जाने के लिए निर्देशित है।
- (2) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उपधारा (1) के अधीन विनिर्दि-ट उपबन्धों को इलेक्ट्रानिक रूप में कार्यान्वित करने के लिए एक स्कीम बना सकेगी :

परन्तु केन्द्रीय सरकार, कंपनियों के भिन्न-भिन्न रजिस्ट्रार या क्षेत्रीय निदेशकों की बाबत ऐसी भिन्न-भिन्न तारीखें नियत कर सकेगी, जिनसे ऐसी स्कीम प्रवृत्त होगी ।

- 610ग. (1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के कोई उपबंध, जहां तक वे धारा 610ख के अधीन विनिर्दि-ट इलेक्ट्रानिक रूप में इलेक्ट्रानिक अभिलेख के प्रयोजन के लिए अपेक्षित हैं—
  - (क) धारा 610ख की उपधारा (1) के खंड (क) से खंड (च) के अधीन विनिर्दिष्ट वि-ायों के संबंध में लागू नहीं होगा, जो अधिसूचना में विनिर्दि-ट किया जाए; या
  - (ख) धारा 610ख की उपधारा (1) के खंड (क) से खंड (च) के अधीन विनिर्दि-ट वि-ायों के संबंध में, केवल ऐसे पारिणामिक अपवादों, उपांतरणों या अंगीकरणों सहित, जो अधिसूचना में विनिर्दि-ट किए जाएं, लागू होगा:

इलेक्ट्रानिक अभिलेखों के संबंध में (जिनके अंतर्गत वह रीति और प्ररूप भी है, जिसमें इलेक्ट्रानिक अभिलेख फाइल किए जाएंगे) अधिनियम को उपान्तरित करने की शक्ति । परन्तु ऐसी कोई अधिसूचना जो जुर्मानों या अन्य धनीय शास्तियों का अधिरोपण करने या फीसों की मांग करने या संदाय करने या इस अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन करने या अपराध से संबंधित है, इस उपधारा के अधीन जारी नहीं की जाएगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रत्येक अधिसूचना के प्ररूप की एक प्रति संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखी जाएगी । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस अधिसूचना को जारी न करने के लिए सहमत हो जाएं तो वह अधिसूचना जारी नहीं की जाएगी। यदि दोनों सदन उस अधिसूचना में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो वह अधिसूचना ऐसे परिवर्तित रूप में जारी की जाएगी जिस पर दोनों सदन सहमत हों ।

इलेक्ट्रानिक रूप में मूल्यवर्धित सेवाओं को उपलब्ध कराना । 610घ. केन्द्रीय सरकार, इलेक्ट्रानिक रूप में ऐसी मूल्यवर्धित सेवाएं उपलब्ध करा सकेगी और ऐसी फीसें उद्गृहीत कर सकेगी जो विहित की जाएं ।

2000 के अधिनियम 21 के उपबन्ध का लागू होना । 610 छ. इलेक्ट्रानिक अभिलेखों (जिनमें वह रीति और रूपविधान भी सम्मिलित हैं, जिसमें इलेक्ट्रानिक अभिलेख फाइल किए जाएंगे) से संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के सभी उपबंध, जहां तक वे इस अधिनियम से असंगत नहीं हैं, धारा 610 ख के अधीन इलेक्ट्रानिक रूप में अभिलेखों के संबंध में लागू होंगे।"।

2000 का 21